उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4
संख्या-66/2017/878/22-4-17-48(32)/16
लखनऊ : दिनांक- सितम्बर,

शुद्धि पत्र

जिला कारागार, गाजीपुर में टाइप-2 के 16 नग आवासों के निर्माण हेतु जारी वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-59/2017/806/22-4-17-48(32)/16, दिनांक 22.09.2017 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित जिला कारागार, उन्नाव के स्थान पर जिला कारागार, गाजीपुर पढ़ा जाय। शासनादेश दिनांक 22.09.2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-66/2017 /878(1)/22-4-17-तददिनांकित-
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी, गाजीपुर।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0, शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in